आदेष की क्रम सं0 और तारीख 1	आदेष और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेष पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ 3

न्यायालय, समाहर्त्ता, पश्चिम चम्पारण, बेतिया

वाद संख्या-सी0आर0एम0-25/13-14

भरत प्रसाद

बनाम

बिहार सरकार

आदेश

09-10-14

यह अपील वाद अनुज्ञापन पदाधिकारी-सह-अनुमंडल पदाधिकारी, नरकटियागंज के आदेश दिनांक 19.12.2013 के विरूद्ध दायर किया गया है। जिसके तहत अपीलकर्ता भरत प्रसाद पिता-स्व0 नागेश्वर प्रसाद सा0-लछनौता थाना-+अंचल- गौनाहा जिला-पश्चिम चम्पारण, बेतिया के जनवितरण प्रणाली से संबंधित अनुज्ञप्ति संख्या-70/2007 को रदद् कर दिया गया हैं

अपील आवेदन को स्वीकृत किया गया। निम्न न्यायालय के अभिलेख की मांग की गयी। निम्न न्यायालय का अभिलेख प्राप्त हुआ। अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया। निम्न न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि दिनांक 08.10.2013 को अनुज्ञापन पदाधिकारी-सह-अनुमंडल पदाधिकारी, नरकटियागंज के द्वारा अपीलकर्ता के जनवितरण प्रणाली विक्रेता के दुकान जो ग्राम पंचायत राज लछनौता में अवस्थित है का जांच किया गया। जांच के क्रम में उक्त जांच की तिथि को कार्य अवधि में दुकान बंद पाया गया तथा मूल्य -सह-भंडार पट्ट प्रदर्शित नही था। इस अनियमितता (आरोपो) के संबंध में अपीलकर्ता से स्पष्टीकरण की मांग की गयी।

अपीलकर्ता के स्पष्टीकरण में कहा गया है कि दिनांक 07.10. 2013 के मध्य रात्रि से उनके दांत में भंयकर दर्द हो जाने के कारण वे चिकित्सक से दिखाने हेतु नरकटियागंज चले गये थे। इस कारण दिनांक 08.10.2013 को जांच के दौरान उनका दुकान बंद पाया गया प्रमाण

आदेष की क्रम सं0 और तारीख 1	आदेष और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेष पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ 3

स्वरूप चिकित्सक का प्रमाण पत्र संलग्न है। मूल्य-सह-भंडार प्रदर्शन पट्ट उनके जनवितरण प्रणाली दुकान के आगे टांगा हुआ है वर्षा का मौसम होने के कारण मूल्य-सह-भंडार प्रदर्शन पट्ट पर खल्ली से लिखा हुआ मिटा पाया गया। राशन का कूपन माह-मई-2013 एवं किरासन का कूपन सितम्बर-13 तक जमा है, लेकिन अपने कथन के समर्थन में उनके द्वारा कोई भी कागजात या किसी प्रकार की पंजी कार्यालय में जमा नही किया गया है।

अनुज्ञापन पदाधिकारी-सह-अनुमंडल पदाधिकारी, नरकटियागंज के द्वारा यह उल्लेख किया गया है कि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा सार्वजनिक जनवितरण प्रणाली (नियंत्रण) संशोधन आदेश 2001 के शर्तो का उल्लघंन किया गया है। निर्धारित कार्यावधि में दुकान बंद पाया जाना, मूल्य-सह-सूचनापट्ट प्रदर्शित नही करना एवं अन्य सभी सबंधित कागजात कार्यालय में जमा नही करना इत्यादि आरोपो के कारण अपीलकर्ता के जनवितरण प्रणाली के अनुज्ञप्ति संख्या-70/2007 को तत्कालिक प्रभाव से रदद् कर दिया गया है।

अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा विशेष लोक अभियोजक को सुना गया। अभिलेख पर उपलब्ध कागजातो का अवलोकन किया गया। अपीलकर्ता का कहना है कि अनुज्ञापन पदाधिकारी-सह-अनुमंडल पदाधिकारी, नरकटियागंज द्वारा उनके जनवितरण प्रणाली दुकान जांच के दौरान बंद पाया गया क्योंकि वे उक्त तिथि 08.10.2013 को दांत में दर्द होने के कारण चिकित्सक से दिखाने नरकटियागंज चले गये थे। इस कारण दुकान बंद पाया गया था मूल्य-सह-भंडार प्रदर्शन पट्ट दुकान के आगे टंगा है उस पर खल्ली से लिखा हुआ था जो वर्षा होने के कारण मिट गया था। साथ ही उनके द्वारा राशन का गुमशुदा कूपन मई-2013 एवं किरासन का कूपन सितम्बर-2013 तक जमा कर दिया गया हैं

उपरोक्त विवेचित तथ्यों के आलोक में अनुज्ञापन पदाधिकारी-सह-अनुमंडल पदाधिकारी, नरकटियागंज के आदेश दिनांक 19.12.2013 को रदद् किया जाता है तथा वाद को इस निदेश के साथ

आदेश की क्रम सं० और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ 3

अनुज्ञापन पदाधिकारी-सह-अनुमंडल पदाधिकारी, नरकटियागंज को रिमाण्ड किया जाता है कि यदि जनवितरण प्रणाली विक्रेता के द्वारा जिस अवधि तक किरासन तेल एवं खाद्यान्न का उठाव किया गया था, उस अवधि तक का उपभोक्ताओं से प्राप्त कूपन वापस कर दिया गया हो तथा 10-15 प्रतिशत उपभोक्ताओं का बयान लेने से यह प्रमाणित होता हो कि खाद्यान्न एवं किरासन तेल का वास्तविक लाभूको के बीच वितरण किया गया हैं एवं कालाबाजारी नही की गयी है तो वे इनकी जन वितरण प्रणाली की अनुज्ञप्ति को बहाल कर देगें तथा अन्यथा स्थिति होने पर यथोचित मुखर आदेश पारित करेंगे।

लेखापित एवं संशोधित।

जिला दण्डाधिकारी,
पश्चिम चम्पारण, बेतिया
22/1/15

जिला दण्डाधिकारी,
पश्चिम चम्पारण, बेतिया
22/1/15